

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक / 44 / S.W./F-33 / 2025

देवास, दिनांक-06.08.2025

:0: आदेश :0:

01. इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्र-27/S.W./F-33/2025 दिनांक 29.04.2025 में निम्नाशय का संशोधन अन्तःस्थापित किया जाता है-

02. इस न्यायिक जिला स्थापना के तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव में से प्रत्येक तहसील के संपूर्ण न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वन विभाग/वन्य विधि के अधीन वन्य विधियों (Forest Laws) से सम्बंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्रों की सुनवाई हेतु निम्नानुसार अपर सत्र न्यायालयों को अधिकृत किया जाता है:-

क.	क्षेत्राधिकार	न्यायालय का नाम	प्रकरणों की प्रकृति
01.	02.	03.	04
01.	तहसील-सोनकच्छ	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, जिला-देवास	संपूर्ण तहसील सोनकच्छ के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से सम्बंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र।
02.	तहसील-बागली	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, जिला-देवास	संपूर्ण तहसील बागली के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से सम्बंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र।
02.	तहसील-कन्नौद	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद, जिला-देवास	संपूर्ण तहसील कन्नौद के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से सम्बंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र।
02.	तहसील-खातेगाँव	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगाँव, जिला-देवास	संपूर्ण तहसील खातेगाँव के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से सम्बंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र।

03. उपरोक्तानुसार, अपर सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वन विभाग/वन्य विधियों तथा अन्य विशिष्ट विधियों (उन अधिनियमों को छोड़कर जिनके लिए विशेष न्यायालय, पदाभिहित है।) जिनके सम्बंध में कार्य विभाजन आदेश क्र-27/ S.W./F-33/2025 दिनांक 29.04.2025 में कोई उल्लेख नहीं है, सम्बंधी प्रस्तुत आवेदन पत्रों की विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु ऊपर वर्णित अपर सत्र न्यायाधीशगण को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त अपर सत्र न्यायाधीशगण में से किसी भी अपर सत्र न्यायाधीश का स्थानांतरण होने अथवा अन्यथा पद रिक्त होने की स्थिति में सम्बंधित तहसील मुख्यालय पर तत्समय कार्यरत/वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश तदनुरूप ही, इस आदेश अधीन आवेदन पत्रों की सुनवाई हेतु अधिकृत रहेंगे।

निश्चर---/2/

04. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक सी/6689/तीन-19-12-89 (मुख्य) जबलपुर दिनांक 19.12.2014 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिला स्थापना तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना अर्थात् दोनों न्यायिक जिला स्थापनाओं के मध्य आपसी प्रशासनिक समन्वय हेतु जारी एकजाई मार्गदर्शी निर्देश क्रमांक(2) "प्रभार की व्यवस्था:- प्रधान न्यायाधीश/ अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के अवकाश/ अनुपस्थिति की दशा में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय स्थापना का अत्यावश्यक/ दैनिक नैमित्तिक न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्य प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जाए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उपरोक्तानुसार प्रभार देखा जाए। ऐसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश को, उपरोक्त उद्देश्य हेतु कुटुम्ब न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश/अधिकारी माना जावे।"

05. अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुरूप, कुटुम्ब न्यायालय, देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में उनके प्रभार के सम्बंध में कार्य विभाजन आदेश क्र. 27/एस.डब्ल्यू./2025, दि. 29.04.2025 में (पृष्ठ क्र.34 पर) अंकित टिप्पणी लेख क्रमांक 01 को संशोधित करते हुए इस प्रकार किया जाता है- "प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय स्थापना का अत्यावश्यक/दैनिक नैमित्तिक न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्य का प्रभार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को होगा तथा उनकी अनुपस्थिति में कुटुम्ब न्यायालय, देवास का प्रभार क्रमशः विशेष न्यायाधीश (SC & ST Act) देवास व मुख्यालय देवास पर उपलब्ध वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश को होगा।"

यह आदेश, कार्य विभाजन आदेश क्र. 27/एस.डब्ल्यू./2025, दि. 29.04.2025 का अंग रहेगा एवं तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(अजय प्रकाश मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

देवास, दिनांक-06.08.2025

पृष्ठांकन क्रमांक/2866/S.W./F-33/2025

प्रतिलिपि:-

- 01-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास
- 02-विशेष न्यायाधीश, (SC & ST Act) देवास.
- 03-समस्त अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्यालय-देवास एवं तहसील मुख्यालय-सोनकच्छ/बागली/कन्नौद व खातेगाँव, जिला-देवास (म.प्र.)
- 04-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास
- 05-समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय-देवास व तहसील मुख्यालय-टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद एवं खातेगाँव, जिला-देवास (म.प्र.)
- 06-प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास की ओर सूचनार्थ।
- 07-अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास एवं तहसील मुख्यालय-टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद व खातेगाँव, जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 08-जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।
- आई.टी. असिस्टेंट, सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद व खातेगाँव, जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ व अनुपालनार्थ।

(अजय प्रकाश मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)